CNR No. UPVR010055642026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1822/2026

1– वसीर अहमद फारूकी पुत्र स्व0 नसीर अहमद फारूकी निवासी मकान नं0 के–47/132, कतुआपुरा, थाना कोतवाली, वाराणसी।

2– मोहम्मद अमान पुत्र मोहम्मद रेहान निवासी मकान नम्बर के–47/128 कतुआपुरा, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

.....अभियोजक।

अपराध सं0–144/2026

धारा–305(ए), 331(4), 317(2)बी0एन0एस0

थाना–कोतवाली, वाराणसी।

06–06–2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **वसीर अहमद फारूकी** व **मोहम्मद अमान** की तरफ से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शपथ–पत्र से समर्थित हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी तस्नीम फातिमा द्वारा इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि 2–3 माह पूर्व वह अपनी मां व भाई के साथ झारखंण्ड गयी थी। घर पर ज्वैलरी व लैपटाप (एप्पल), कैनन कैमरा रखे थे जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण को पकड़ा गया। अभियुक्त वसीर अहमद के पास से एप्पल कंपनी का लैपटॉप व अभियुक्त अमान के पास से 920/–रूपये नगद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत हेतु मुख्य रूप से तर्क लिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सह–अभियुक्तगण गोपाल प्रसाद गुप्ता व मो0 आरिफ उर्फ मोंटी का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.06 19:54:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर वादिनी के घर से ज्वैलरी, लैपटाप व कैनन कैमरा चोरी किये जाने तथा दौरान विवेचना अभियुक्त वसीर अहमद के पास से एप्पल कंपनी का लैपटॉप व अभियुक्त अमान के पास से 920/–रूपये नगद बरामद होना अभिकथित है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी है। अभियुक्तगण को पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति के आधार पर नामित किया गया है। अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 27–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्तगण गोपाल प्रसाद गुप्ता व मो0 आरिफ उर्फ मोंटी का नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दोषी हैं अथवा निर्दोष इसे विचारण के स्तर पर ही देखा जा सकता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **वसीर अहमद फारूकी** व **मोहम्मद अमान** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत तद्नुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर बाद सत्यापन इस शर्त पर जमानत पर रिहा जाय कि अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगे तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगे।

दिनांक : 06–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203

Steno-Md. Imran